

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2109
20 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए नियत

“चार्जिंग स्टेशनों को नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा प्रचालित करना”

2109. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए स्थापित किए गए चार्जिंग स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्थापित चार्जिंग स्टेशन सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा प्रचालित किए जाते हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा प्रचालित किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ङ) वर्ष 2015 में इस योजना के पहले चरण के आरम्भ से इन चार्जिंग स्टेशनों द्वारा वार्षिक रूप से कितनी बिजली की खपत की गई है; और
- (च) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से इन चार्जिंग स्टेशनों को प्रचालित करने के लिए सरकार द्वारा कितना बजटीय आबंटन किया गया है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): फेम-इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को संस्वीकृत किया है। साथ ही, फेम इंडिया स्कीम

के चरण-II के अंतर्गत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों के लिए भी 1576 चार्जिंग स्टेशन संस्वीकृत किये गये हैं। इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के चरण-I के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना विकसित करने के लिए 520 चार्जिंग स्टेशनों को संस्वीकृत किया था।

(ख) और (ग): महोदय, फेम इंडिया स्कीम के चरण-I के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए निम्नलिखित सौर-आधारित चार्जिंग अवसंरचना संस्वीकृत की गई थी:

चार्जिंग स्टेशनों का विवरण	संगठन	स्वीकृत	स्थापित
आरईआईएल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईवी के लिए सौर-आधारित चार्जिंग अवसंरचना	आरईआईएल, जयपुर	3	3
दिल्ली-जयपुर-आगरा राजमार्ग के किनारे सौर ग्रिड हाइब्रिड और ग्रिड संचालित चार्जिंग स्टेशन	आरईआईएल	25	25
दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग के किनारे सौर-आधारित चार्जर (20 जगहों पर)	बीएचईएल	20	20

(घ): विद्युत मंत्रालय ने चार्जिंग अवसंरचना के लिए दिनांक 14.01.2022 को पुनरीक्षित समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए। दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि कोई भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन/चार्जिंग स्टेशनों की श्रृंखला खुली पहुंच के माध्यम से किसी भी बिजली उत्पादक कंपनी से बिजली प्राप्त कर सकती है। इस प्रयोजन के लिए 15 दिन के भीतर खुली पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। खुली पहुंच की अनुमति देने वाले प्रावधान से इन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकेगा।

(ड) और (च): महोदय, फेम इंडिया स्कीम के चरण-I के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय ने चार्जिंग अवसंरचना के विकास के लिए 43.00 करोड़ रुपये (लगभग) लागत वाले 520 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी थी। इसके अतिरिक्त, इन चार्जिंग स्टेशनों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से प्रचालित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कोई बजटीय आबंटन नहीं किया गया है।
